


फर्द अहकाम

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.2.20	<p>पत्रावली पेज हुई वकील पशुकारान ठाकुर के कादी का वाद ठाकुर राजरी ठाकुर पेशी में - स्वार्थिज किनाजा चुका है इसलिए अब न.प्र. शर्कन - पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाया है इसलिए न.प्र. शर्कन - पत्र स्वार्थिज किनाजा है पत्रावली फौसल ठाकुर हाकर दर्ज नाकर से कमा हो / फौसल शुले न.प्र. शर्कन में शुनाचा जमा</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर पंजर लेव (जयपुर) </p>	<p>दी०४</p> <p>गल</p>